संख्या- 28/2019/877/12-3-2019-100(32)/2018

प्रेषक

डा0 रामचन्द्र शुक्ल,
अनु सचिव
उत्तर प्रदेश शासन।

सेवा में,

कृषि निदेशक,
उत्तर प्रदेश, लखनऊ।

कृषि अनुभाग-3 लखनऊ:: दिनांक: 01 अगस्त, 2019

विषय:- राष्ट्रीय कृषि विकास योजनान्तर्गत वित्तीय वर्ष 2019-20 हेतु कृषि विभाग की पूंजीगत योजनायें के अन्तर्गत वित्तीय स्वीकृति के संबंध में।

महोदय,

उपर्युक्त विषयक आपके पत्र संख्या-रा.कृ.वि.यो./218/लेखा-14/19-20, दिनांक 20.05.2019 तथा पत्र संख्या-रा.कृ.वि.यो./453/लेखा-14/19-20, दिनांक 03.07.2019 के संदर्भ में मुझे आपसे यह कहने का निदेश हुआ है कि राष्ट्रीय कृषि विकास योजनान्तर्गत कृषि विभाग की पूंजीगत योजनाए हेतु चालू वित्तीय वर्ष-2019-20 में प्राविधानित धनराशि के सापेक्ष रू0 2197.22 लाख (रू0 इक्कीस करोड़ सत्तानबे लाख बाईस हजार मात्र) की धनराशि निम्नलिखित परियोजनाओं हेतु अधोलिखित शर्तों/प्रतिबन्धों के अधीन आपके निर्वतन पर रखे जाने की श्री राज्यपाल महोदय सहर्ष स्वीकृति प्रदान करते है:-

(धनराशि रू0 लाख में)

क्रस	परियोजना का नाम	विभाग/ संस्था का नाम	एस0एल0एस0सी0 अनुमोदन		लेखाशीर्षक /मानक मद	प्रस्तावित वित्तीय स्वीकृति (60:40)
			बैठक दिनांक	धनराशि		
1	Multipurpose seed store and technology dissemination center (Kisan Kalyan Kendra)	कृषि विभाग	26.09.2018	2484.34	अनुदान संख्या-83 के लेखाशीर्षक- 4401-फसल कृषि कर्म पर पूंजीगत परिव्यय-789-अनुसूचित जातियों के लिए विशेष घटक 02-राष्ट्रीय कृषि विकास योजना (के.60/रा.40-के+रा.) 0201-कृषि क्षेत्र की पूंजीगत योजनाए (के.60/रा.40-के+रा.) 24-वृहद निर्माण कार्य	1242.34
2	Construction of seed processing plant buildings as well as godown at Bulandshahar	उ0प्र0 बीज विकास निगम, लखनऊ।	10.05.2018	632.07	अनुदान संख्या-83 के लेखाशीर्षक- 4401-फसल कृषि कर्म पर पूंजीगत परिव्यय-789-अनुसूचित जातियों के लिए विशेष घटक 02-राष्ट्रीय कृषि विकास योजना (के.60/रा.40-के+रा.) 0201-कृषि क्षेत्र की पूंजीगत योजनाए (के.60/रा.40-के+रा.) 24-वृहद निर्माण कार्य	302.00
3	Construction of seed processing plant buildings as well as godown at Aligarh and Jalaun		26.09.2018	1384.16	अनुदान संख्या-83 के लेखाशीर्षक- 4401-फसल कृषि कर्म पर पूंजीगत परिव्यय-789-अनुसूचित जातियों के लिए विशेष घटक 02-राष्ट्रीय कृषि विकास योजना (के.60/रा.40-के+रा.) 0201-कृषि क्षेत्र की पूंजीगत योजनाए (के.60/रा.40-के+रा.) 24-वृहद निर्माण कार्य	652.88
					कुल योग	2197.22

(रू0 इक्कीस करोड़ सत्तानबे लाख बाईस हजार मात्र)

2- स्वीकृत धनराशि का आहरण नियमानुसार किया जाएगा। उक्त लेखाशीर्षक में पूर्व में अवमुक्त धनराशि का उपयोगिता प्रमाण पत्र शासन को उपलब्ध कराने के उपरांत ही स्वीकृत धनराशि का आहरण करते हुए का व्यय किया जाएगा।

3- स्वीकृत की जा रही धनराशि को आहरित कर बैंक/डाकघर में नहीं रखा जायेगा तथा उक्त का व्यय चालू वित्तीय वर्ष 2019-20 में ही सुनिश्चित किया जायेगा तथा प्रस्तावित वित्तीय स्वीकृति बजट प्राविधान की सीमा के अन्तर्गत रहेगी, यह सुनिश्चित करने का उत्तरदायित्व कृषि निदेशक, उ0प्र0 लखनऊ का होगा।

4- वित्त विभाग के कार्यालय ज्ञाप कार्यालय संख्या-1/2017/बी-1-02/दस-2017-231/2017, दिनांक 02.01.2017 एवं 1/2018/बी-1-375/दस-2018-231/2018, दिनांक 30.03.2018 यथासंशोधित कार्यालय ज्ञाप संख्या-3/2018/बी-1-438/ दस-2018-231/2018, दिनांक 24.04.2018 शासनादेश दिनांक 01.09.2018 तथा कार्यालय ज्ञाप संख्या-1/2019/बी-1- 170/दस-2019-231/2019, दिनांक 22.03.2019 में दिये गये दिशा-निर्देशों/प्रावधानों का कड़ाई से अनुपालन सुनिश्चित किया जायेगा तथा स्वीकृत धनराशि का व्यय उक्त शासनादेशों में की गयी व्यवस्था का अनुपालन सुनिश्चित करते हुए ही किये जाने का उत्तरदायित्व कृषि निदेशक, उ0प्र0 लखनऊ का होगा।

5- स्वीकृत की जा रही उक्त धनराशि का आवंटन मात्र किसी प्रकार के व्यय करने का प्राधिकार नही देता है जिन मामलों में उत्तर प्रदेश बजट मैनुअल और फाइनेन्शियल हैण्ड बुक के नियमों तथा अन्य स्थायी आदेशों के अन्तर्गत राज्य सरकार/केन्द्र सरकार अथवा अन्य सक्षम प्राधिकारी की स्वीकृति प्राप्त की जानी आवश्यक हो उन मामलों में व्यय करने से पूर्व स्वीकृति अवश्य प्राप्त कर ली जाय।

6- स्वीकृत की जा रही उक्त धनराशि का उपयोग योजनान्तर्गत मुख्य सचिव उ0प्र0 शासन की अध्यक्षता में गठित एस.एल.एस.सी. द्वारा अनुमोदित परियोजना प्रस्ताव/अनुमोदित कार्ययोजना के अनुरूप भारत सरकार के दिशा निर्देशों/गाइड लाइन्स एवं अन्य संगत नियमों के अनुसार सुनिश्चित किया जायेगा तथा धनराशि का व्यय केवल उन्ही मदों पर किया जायेगा जिस मद के लिए धनराशि स्वीकृत की गयी है तथा आय-व्ययक में प्राविधानित है। किसी अन्य भिन्न मद में न ही इसका व्यय किया जायेगा और न ही एक मद से दूसरे मद में इसका व्यावर्तन किया जायेगा। यदि किसी मद में व्यय करने की अनुमति भारत सरकार द्वारा कार्य योजना में प्राप्त न हो तो उसकी सूचना शासन में उपलब्ध करायी जाय।

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है ।
2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.nic.in से सत्यापित की जा सकती है

http://shasanadesh.up.nic.in

7- राज्य सरकार द्वारा वस्तुओं के क्रय विषयक दिशा-निर्देशों, सुसंगत वित्तीय निमयों एवं स्टोर पर्चेज रूल्स का अनुपालन सुनिश्चित कराया जायेगा तथा सेवाओं के भुगतान से पूर्व यह सुनिश्चित कर लिया जायेगा कि आउटसोर्सिंग के सम्बन्ध में जारी राज्य सरकार/भारत सरकार द्वारा जारी सुसंगत नियमों का अनुपालन सुनिश्चित किया जायेगा। कार्य की गुणवत्ता पर विशेष ध्यान दिया जायेगा तथा उक्त की सूचना शासन को समयान्तर्गत उपलब्ध करायी जायेगी।

8- योजनान्तर्गत व्यय की जाने वाली उक्त धनराशि का उपयोगिता प्रमाण पत्र निर्धारित प्रारूप पर राज्य नोडल अधिकारी को उपलब्ध कराया जायेगा। विभिन्न घटकों के अन्तर्गत कराये गये कार्यो की मासिक आाधार पर भौतिक/वित्तीय प्रगति रिपोर्ट राज्य नोडल अधिकारी को उपलब्ध करायी जायेगी। कृषि निदेशक, उत्तर प्रदेश, लखनऊ द्वारा यह भी सुनिश्चित किया जायेगा कि उक्त कार्य की वर्तमान तथा भविष्य में अन्य योजनाओं में पुनरावृत्ति/द्विरावृत्ति न हो। योजनान्तर्गत धनराशि का उपयोग योजना की कार्ययोजना में अनुमोदित भौतिक/वित्तीय लक्ष्यों के अनुरूप किया जायेगा।

9- स्वीकृत धनराशि संभावित व्यय की फेजिंग, कार्य की प्रकृति एवं अवसर के अनुसार की जाय, जहां तक संभव हो, व्यय की फेजिंग वित्तीय वर्ष की शेष अवधि के लिए प्रतिमाह समान रूप से की जाय। आहरण एवं वितरण अधिकारियों द्वारा कोषागार से धनराशि का आहरण तत्काल आवश्यकता होने पर ही किया जाय। यदि विभाग के आहरण एवं वितरण अधिकारी जनपद स्तर पर हैं, तो जनपद स्तर पर व्यय की जाने वाली धनराशियों को संबंधित जनपदों के आहरण एवं वितरण अधिकारी को आवंटित की जाय। ऐसे मामलों में विभागाध्यक्ष स्तर पर एकमुश्त धनराशि का आहरण न किया जाय, क्योंकि धनराशि के एकमुश्त आहरण से राज्य के रोकड़ प्रबंधन (कैश मैनेजमेंट) पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ता है तथा अनावश्यक रूप से बैंकों में खाता खोलकर धनराशि जमा करने की प्रवृत्ति को बढ़ावा मिलता है। शासन की पूर्वानुमति प्राप्त किये बगैर कोई भी धनराशि बैंक खाते में नही रखी जाएगी, यदि ऐसा प्रकरण शासन के संज्ञान में आता है तो इसे गम्भीर वित्तीय अनियमितता मानते हुए नियमानुसार कार्यवाही की जाएगी।

10- स्वीकृत की गयी उक्त धनराशि के व्यय पर नियंत्रण के संबंध में शासनादेश संख्या-बी-1-1195/ दस-16/94, दिनांक 06.06.1994 द्वारा निर्गत निर्देशों का कड़ाई के साथ अनुपालन सुनिश्चित किया जाय। व्यय प्रबंधन एवं शासकीय व्यय में मितव्ययता के संबंध में वित्त विभाग द्वारा समय-समय पर जारी आदेशों का विशेष रूप से अनुपालन सुनिश्चित किया जाय। इसके साथ-साथ राजकीय धन व्यय करने में उत्तर प्रदेश बजट मैनुअल के प्रस्तर-12 में दी गयी शर्तो की पूर्ति तथा वित्तीय औचित्य के मानकों (स्टेण्डड्र्स ऑफ फाइनेन्शियल प्रोप्राइटी) का अनुपालन भी सुनिश्चित किया जाय।

11- कृषि निदेशक, उत्तर प्रदेश, लखनऊ जनता के बीच योजनाओं का प्रचार एवं प्रसार सुनिश्चित करेंगे। उक्त योजना का पूरा विवरण वेवसाइट पर उपलब्ध कराया जायेगा। योजना का Impact assessment कराया जायेगा और उसका समुचित फीडबैक दिया जायेगा। योजना के कार्य पूर्ण हो जाने पर योजना की कार्यो की पूर्णता का पूरा विवरण उपलब्ध कराया जाय।

12- स्वीकृत धनराशि का व्यय सुसंगत वित्तीय नियमों का अनुपालन सुनिश्चित कराते हुए किये जाने तथा प्रस्ताव में उल्लिखित आकड़ों की शुद्धता का उत्तरदायित्व कृषि निदेशक, उत्तर प्रदेश लखनऊ का होगा। स्वीकृत की जा रही धनराशि का आहरण एक मुश्त न करते हुए आवश्यकतानुसार किया जायेगा।

13- उक्त धनराशि का व्यय वित्तीय वर्ष 2019-20 के अन्तर्गत उपर्युक्त उल्लिखित तालिका में अंकित अनुदान संख्या/लेखाशीर्षक/मानक मदों के नामें डाला जायेगा। उपरोक्त शर्तों का उल्लंघन होने पर आप स्वयं उत्तरदायी होगें।

14- यह आदेश वित्त विभाग के कार्यालय ज्ञाप संख्या-1/2017/बी-1-02/दस-2017-231/2017, दिनांक 02.01.2017 एवं 1/2018/बी-1-375/दस-2018-231/2018, दिनांक 30.03.2018 यथासंशोधित कार्यालय ज्ञाप संख्या-3/2018/बी-1-438/ दस-2018-231/2018, दिनांक 24.04.2018 तथा कार्यालय ज्ञाप संख्या-1/2019/बी-1-170/दस-2019-231/2019, दिनांक 22.03.2019 द्वारा प्रतिनिधानित अधिकारों के अन्तर्गत निर्गत किये जा रहे हैं।

भवदीय,

(डा0 रामचन्द्र शुक्ल)
अनु सचिव।

संं0-28/2019/877 (1)/12-3-2019-तद्दिनांक।

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित:-

1- महालेखाकार,(लेखा व हकदारी) प्रथम/द्वितीय, उ0प्र0 इलाहाबाद ।
2- महालेखाकार,(लेखा परीक्षा) प्रथम/द्वितीय, उ0प्र0 इलाहाबाद।
3- सचिव, भारत सरकार कृषि मंत्रालय, कृषि एवं सहकारिता विभाग, कृषि भवन, नई दिल्ली।
4- संयुक्त सचिव (आर.के.वी.वाई.) भारत सरकार कृषि मंत्रालय, कृषि एवं सहकारिता विभाग, कृषि भवन, नई दिल्ली।
5- अवर सचिव (आर.के.वी.वाई.) भारत सरकार कृषि मंत्रालय, कृषि एवं सहकारिता विभाग, कृषि भवन, नई दिल्ली।
6- निदेशक, आर के. वी. वाई., भारत सरकार कृषि मंत्रालय, कृषि एवं सहकारिता विभाग, (आर.के.वी.वाई. सेल) कृषि भवन, नई दिल्ली।
7- संबंधित कोषाधिकारी, उत्तर प्रदेश।
8- वित्त नियंत्रक, कृषि विभाग, कृषि भवन, लखनऊ।
9- सम्बन्धित परियोजनाधिकारी, कृषि भवन, लखनऊ।
10- सहायक निदेशक (कम्प्यूटर एवं समन्वय) कृषि भवन, लखनऊ।
11- प्रबन्ध निदेशक, सम्बन्धित कार्यदायी संस्थायें, उ0प्र0 लखनऊ।
12- नोडल अधिकारी, आर.के.वी.वाई., कृषि भवन, लखनऊ।
13- वित्त (व्यय नियंत्रण), अनुभाग-1/कृषि अनुभाग-5/नियोजन अनुभाग-3
14- शासनादेश की वेबसाइट http://shasanadesh.up.nic.in पर अपलोड करने हेतु।
15- गार्ड बुक।

आज्ञा से,

(डा0 रामचन्द्र शुक्ल)
अनु सचिव।

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है ।
2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.nic.in से सत्यापित की जा सकती है

http://shasanadesh.up.nic.in

http://shasanadesh.up.nic.in

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है ।
2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.nic.in से सत्यापित की जा सकती है